जूनियर साईबर फॉरेन्सिक सलाहकार की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

पुलिस उप महानिरीक्षक, एस0टी0एफ0 के अधीन एक जूनियर फॉरेन्सिक प्रयोगशाला/प्रशिक्षण संस्थान हेतु एक वर्ष की अवधि के लिये एक अनुभवी जूनियर साईबर फॉरेन्सिक सलाहकार की आवश्यकता है, जिसकी अवधि अग्रिम दो वर्ष तक बढायी जा सकती है। साईबर फॉरेन्सिक सलाहकार के लिए निम्न अर्हताएँ होना आवश्यक हैः–

1– सूचना प्रोद्यौगिकी/कम्प्यूटर साइंस में साईबर सिक्योरिटी एवं साईबर फॉरेन्सिक में B.E/B.tech की डिग्री या MCA डिग्री के साथ साईबर फॉरेन्सिक/साईबर सिक्योरीटी में डिप्लोमा / डिग्री होनी आवश्यक है।

2– ऐथिकल हैंकिग, नेटवर्क सिक्योरिटी या सिक्योरिटी ऑडिट में सर्टीफाइड कोर्स किया हो।

3– साईबर फॉरेन्सिक/साईबर सिक्योरीटी के क्षेत्र में प्रोफेशनल के रूप में कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य है।

4– साईबर सम्बन्धित किसी समस्या को हल करने में सक्षम होना चाहिए।

इच्छुक अभ्यर्थी दिनॉक 28–2–2019 से पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कार्यालय एस0टी0एफ0 गांधी रोड, निकट साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन, देहरादून–248001 के पते पर अपना आवेदन प्रेषित कर सकते हे।

नोटः– इस सम्बन्ध में शर्ते निर्धारित प्रारूप में साईबर क्राईम पुलिस थाने के नोटिस बोर्ड पर चस्पा है एवं उत्तराखण्ड पुलिस की वेबसाइट www.uttarakhandpolice.com पर भी उपलब्ध हैं उक्त के अतिरिक्त फोन नम्बर 0135–2655900 पर आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

दिनांक.............

आज्ञा से,
पुलिस उप महानिरीक्षक,
एस0टी0एफ0, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

महिलाओं एवं बच्चो के प्रति होने वाले साईबर अपराधों की रोकथाम हेतु एक जूनियर साईबर फॉरेन्सिक सलाहाकार को एक वर्ष के अनुबन्ध पर लिये जाने हेतु प्रस्ताव।

1–<u>पृष्ठभूमिः</u>– गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत राज्य स्तर की साईबर फॉरेन्सिक प्रयोगशाला, तथा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना प्रस्तावित है। तथा इसके लिए अनुभवी जूनियर साईबर फॉरेन्सिक सलाहाकार को अनुबन्धित करने का भी प्रस्ताव है। महिलाओं एवं बच्चों के साथ होने वाले साईबर अपराधों की रोकथाम हेतु एस0टी0एफ0 उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा एक अनुभवी जूनियर साईबर फॉरेन्सिक परामर्शदाता की अनुबन्ध के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

<u>2–सामान्य शर्तेः</u>– चयनित सलाहकार अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन उत्तराखण्ड पुलिस के साथ एक अनुबन्ध पत्र पर नियमानुसार हस्ताक्षर करेगा। अनुबन्ध का प्रारूप– परिशिष्ट–ए पर संलग्न है।

- आवेदक एक से अधिक आवेदन/प्रस्ताव जमा नहीं करेगा।
- आवेदक संलग्नक एक में दिये गये नियम शर्तो के प्रति उत्तरदायी होगा। चयन प्रक्रिया के दौरान आवेदक को किसी प्रकार के भत्ते देय नहीं होगें।
- अनुबन्ध के दौरान उत्तराखण्ड पुलिस के अतिरिक्त किसी भी अन्य संस्थान में या स्वतन्त्र रूप से व्यवसायिक गतिविधियों से सम्बद्व नहीं रहेगा।
- सलाहकार को राज्य सरकार द्वारा सामान्य तौर पर देय अवकाश अनुमन्य होगें। अति आवश्यक कार्य होने पर अवकाश में भी उपस्थित होना होगा।

<u>3–शैक्षिक योग्यता एवं साईबर फॉरेन्सिक/सुरक्षा अनुभवः–</u>

- आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सूचना प्रोद्यौगिकी/कम्प्यूटर साइंस में साईबर सिक्योरिटी एवं साईबर फॉरेन्सिक में B.E/B.tech की डिग्री या MCA डिग्री के साथ साईबर फॉरेन्सिक/साईबर सिक्योरीटी में डिप्लोमा / डिग्री होनी आवश्यक है।
- ऐथिकल हैंकिग, नेटवर्क सिक्योरिटी या सिक्योरिटी ऑडिट में सर्टीफाइड कोर्स किया हो।
- साईबर फॉरेन्सिक/साईबर सिक्योरीटी के क्षेत्र में प्रोफेशनल के रूप में कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य है।
- साईबर सम्बन्धित किसी समस्या को हल करने में सक्षम होना चाहिए।
- आवेदक को साईबर सिक्योरिटी व साईबर फॉरेन्सिक में 05 से 10 वर्ष के कार्य का अनुभव होना चाहिए।
- आवेदक स्वंय बिना किसी अन्य सहायता के कार्य करने में समक्ष हो।

4– पूर्व निर्धारित कार्य क्षमता एवं संस्तुतियॉः–

- साईबर फॉरेन्सिक एवं साईबर सिक्योरिटी का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए।
- साईबर सुरक्षा साईबर फॉरेन्सिक के क्षेत्र में किये गये कार्य Portfolio में दर्शाना होगा।
- आवेदक का हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषाओं को बोलने एवं लिखने का ज्ञान तथा विभिन्न क्षेत्रों मे श्रोताओं से वार्तालाप की क्षमता तथा अपनी बात को सहजता से दूसरों तक पहॅुचाने की कार्य कुशलता होनी आवश्यक है।
- विचारों तथा परिस्थिति को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सक्षम हों।
- बहुआयामी कार्यो को प्रभावी ढंग से करने व नेतृत्व करने की क्षमता हो।
- शोध प्रशिक्षण एवं विकास के कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए।

5–चयन समितिः–

जूनियर साईबर फॉरेन्सिक सलाहाकार कि चयन हेतु निम्नवत चयन समिति गठित होगीः–

1.	पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक/मुख्यालय , उत्तराखण्ड	–	अध्यक्ष
2.	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उत्तराखण्ड	–	सदस्य
3.	पुलिस उपाधीक्षक, एम, कार्मिक, उत्तराखण्ड	–	सदस्य
4.	साईबर एक्सपर्ट	–	सदस्य

6– समस्त आवेदन पत्रों को अस्वीकृत, स्वीकृत करने का अधिकारः–

- इस प्रपत्र में किसी बिन्दु के सम्मिलित न होने की स्थिति में चयन समिति को किसी भी आवेदन को स्वीकार करने अथवा निरस्त करने का अधिकार होगा।
- यदि कोई भी तथ्य गलत प्रदर्शित किया गया हो या दर्शाया गया हो तो चयन समिति को अधिकार होगा कि वह किसी भी आवेदन पत्र को अस्वीकार करे।

7– प्रस्तावों का प्रेषणः–

- इच्छुक अनुभवी एवं अर्ह सलाहाकारों को सभी सूचनाऍ प्रस्ताव संलग्न–2 में दिये गये प्रारूप के अनुसार प्रेषित करना आवश्यक है।
- आवेदक को सभी सूचनाऍ इस आर0एफ0पी0 के अन्तर्गत प्रेषित करना अनिवार्य है।

चयन समिति केवल उन प्रस्तावों पर विचार करेगा जो निर्धारित प्रारूपों में प्राप्त होगें। तथा सभी वॉछित सूचनाओं एवं अर्हताओं को पूरा करते हों सभी प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में एक सील बन्द लिफाफे में जिसके ऊपर स्पष्ट शब्दों में लिखा हो ''जूनियर साईबर फॉरेन्सिक सलाहाकार अन्तर्गत CCPWC'' यह निम्न पते पर दिनॉक को 17.00 बजे से पहले प्राप्त हो जाना चाहिए।

पता

ई–मेल आईडी

कृपया किसी सहायता एवं सूचना के लिए निम्न नम्बर पर सम्पर्क कर सकते हैंः–

....

8–<u>चयन प्रक्रिया के लिए निर्धारित मापदंडः</u>–

सभी आवेदकों के प्रस्तावों की जॉच की जायेगी एवं योग्य आवेदक को चयनित किया जायेगा। आवेदकों को निर्धारित माकिंग सिस्टम के तहत चयनित किया जायेगा। मार्किग सिस्टम की श्रेणियॉ तथा उनके अंक निम्न प्रकार हैंः–

मापदण्ड	अंकों का विभाजन		
शैक्षिक योग्यता	B.Tech/ BE	MCA	M. Tech
	05 अंक	7 अंक	10 अंक
कार्य अनुभव	02 वर्ष	03 वर्ष	05 वर्ष
	04 अंक	05 अंक	10 अंक
पूर्व में भारत सरकार एवं राज्य सरकार अथवा प्रतिष्ठित निजी संस्थान के साथ कार्य करने का अनुभव एवं उसकी संस्तुतियॉ	निजी संस्थान	राज्य सरकार का संस्थान	भारत सरकार का संस्थान
	04 अंक	05 अंक	10 अंक

मापदण्ड		
मौखिक एवं लिखित प्रेषण कौशल	न्यूनतम अंक	अधिकतम अंक
	05 अंक	10 अंक
राष्ट्रीय पत्रकारिता,लेख रिपोर्ट इत्यादि के अंक	राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों व रीजनल संस्थानों की पत्रिका में प्रकाशित लेख	राष्ट्रीय स्तर के दैनिक समाचार पत्रों व राष्ट्रीय संस्थानों की पत्रिका में प्रकाशित लेख
	05 अंक	10 अंक

9–<u>अनुबन्ध का निरस्तीकरणः</u>–

यदि चयन समिति कार्य से संन्तुष्ट नहीं होती है तो चयन समिति 10 दिवस के अन्दर नोटिस देकर सेवाऍ समाप्त कर सकती है। और यदि सलाहाकार अनुबन्ध को समाप्त करना चाहता है तो उसे समिति को 30 दिवस पूर्व नोटिस देना अनिवार्य होगा।

10– <u>आवेदक द्वारा दी जाने वाली संस्वीकृतिः</u>–

- जमा किया गया आवेदन आवेदक की जिम्मेदारी है।
- आर0एफ0पी0 प्रपत्रों का गहनता से अध्ययन/निरीक्षण कर लिया गया है।
- समिति द्वारा जारी सभी सूचनाओं को प्राप्त कर लिया है।
- आवेदन आर0एफ0पी0 प्रपत्र पर भरी गयी सूचनाओं में त्रुटि एव भूल के दुष्परिणाम को स्वीकार करता है।
- आवेदक अपने निजी हितों को, कार्य के हितों से ऊपर नही रखेगा।

10– भुगतान मानदेयः–

साईबर सलाहकार को भारत सरकार द्वारा निर्धारित एक लाख रूपये मासिक वेतन भुगतान किया जाय

11–सेवाकाल की अवधिः–

प्रारम्भ में यह अनुबन्ध एक वर्ष के लिए होगा तथा उत्तराखण्ड पुलिस के विवेक पर दो वर्ष हेतु और बढाया जा सकता है।

संलग्नक 1

पृष्ठभूमिः–

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस0टी0एफ0 उत्तराखण्ड के अधीन गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्व साईबर अपराधों की रोकथाम हेतु एक राज्य स्तर की साईबर फॉरेन्सिक प्रयोगशाला, तथा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना प्रस्तावित है।

उद्देश्यः–

- ऑन लाईन साईबर क्राईम रिपोर्टिंग प्लेट फार्म की स्थापना।
- राज्य स्तर की फॉरेन्सिक प्रयोगशाला की स्थापना।
- साईबर क्राईम इनवेस्टीगेशन व प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु प्रशिक्षण व ऑपरेशनल साईबर लैब सुविधा स्थापित कराना
- पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों/न्यायिक अधिकारियों एवं अन्य को प्रशिक्षण प्रदान करना।

कार्य का क्षेत्र :–

- नियुक्त सलाहाकार विभाग के लिए साईबर फॉरेन्सिक अधिकारी एवं सुरक्षा सलाहाकार के रूप में कार्य करेगा। जो एक वर्ष के लिए विभाग को साईबर सुरक्षा से सम्बन्धित सभी पहलुओं पर प्रशिक्षण, शोध एवं विकास तथा साईबर फॉरेन्सिक सुरक्षा सम्बन्धी गतिविधि एवं कार्यक्रमों को योजनावद्व तरीके से विकसित कर उनका सफलता पूर्वक सम्पादन करेगें।
- राज्य स्तरीय साईबर क्राईम फॉरेन्सिक लैब एवं ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना।
- साईबर सुरक्षा एवं साईबर फॉरेन्सिक सम्बन्धी कार्यशाला प्रशिक्षण एवं सेमिनार का आयोजन।
शोध एवं विकास की गतिविधियॉ।
- नागरिकों को साईबर अपराध के सम्बन्ध में जागरूक करने सम्बन्धी कार्यक्रम।
- साईबर अपराधों की रोकथाम के लिए नीति एवं कार्ययोजना बनाना।

संलग्नक–2

आवेदन पत्र जूनियर साईबर सलाहाकार

दिनॉक:

सेवा में,

अध्यक्ष, चयन समिति
उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय
देहरादून।

विषय– महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्व होने वाले साईबर अपराधों की रोकथाम हेतु जूनियर साईबर सलाहाकार अनुबन्ध के आधार पर चयनित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

1– आपके विज्ञापन के संदर्भ में मेरे द्वारा आर0एफ0पी0 प्रपत्र के सभी बिन्दुओं का भलीभॉति अध्ययन कर लिया है। मै जूनियर साईबर फॉरेन्सिक सलाहाकार के पद हेतु आवेदन पत्र प्रेषित कर रहा हूॅ ।
2– मैं स्वीकार करता हूॅ कि चयन समिति द्वारा आर0एफ0पी0 प्रपत्रों के चुनाव के लिए प्रदान किया है उसमें सभी सूचनाएॅ सत्य एवं सही है, और उसमें कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। और सभी प्रमाण–पत्र मूल प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि है।
3– यदि चयन समिति द्वारा किसी तथ्य पर अतिरिक्त जानकारी/ सूचना मॉगी जाती है तो मेरे द्वारा प्रस्तुत की जायेगी।
4–मुझे इस बात का ज्ञान है कि चयन समिति को बिना किसी कारण बताये किसी भी प्रार्थना–पत्र को अस्वीकार करने का अधिकार है, इसे मेरे द्वारा चुनौती नहीं दी जायेगी।
5– मैं प्रमाणित करता हूॅ कि मैने समिति द्वारा तय किये सभी योग्यताएॅ और अनुभव पूर्ण किये हैं।
6– मैं यह भी प्रमाणित करता हूॅ कि मेरे खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई जॉच/विवेचना प्रचलित नहीं है।

आपका विश्वसनीय
आवेदक का नाम
पता–
मोबाईल नम्बर–
ई–मेल आई0डी0
दिनॉक–

अनुबन्ध पत्र का प्रारूप

यह कि मै..पुत्र...निवासी...
....जो एस0टी0एफ0 के अधीन साईबर सलाहाकार पुलिस विभाग की ओर से चयनित किया गया हूँ एवं ....प्रथम पक्ष...
...एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0...द्वितीय पक्ष

1– यह कि प्रथम पक्ष को एक वर्ष हेतु साईबर सलाहाकार के पद पर नियुक्त किया गया है, उसके उपरान्त प्रथम पक्ष इस सम्बंध में कोई दावा प्रस्तुत नहीं करेगा। यदि पुलिस विभाग को आवश्यकता होगी तो अनुबन्ध बढ़ाया जा सकता है।

2– यह कि प्रथम पक्ष साईबर सलाहाकार नियुक्त रहते हुये ऑन लाईन साईबर क्राईम रिपोटिंग प्लेट फार्म की स्थापना, राज्य स्तर की फॉरेन्सिक प्रयोगशाला की स्थापना, साईबर क्राईम इन्वेस्टीगेशन व प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु प्रशिक्षण व ऑपरेशन साईबर लैब सुविधा स्थापित कराने में पूर्व सहयोग देगा।

3– यह कि प्रथम पक्ष साईबर सलाहाकार नियुक्त रहते हुये पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों /न्यायिक अधिकारियों एवं अन्य को प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

4– यह कि प्रथम पक्ष विभाग के लिए साईबर फॉरेन्सिक अधिकारी एवं सुरक्षा सलाहाकार के रूप में कार्य करेगा, जो एक वर्ष के लिए विभाग को साईबर सुरक्षा से सम्बंधित सभी पहलुओं पर प्रशिक्षण, शोध एवं विकास तथा साईबर फॉरेन्सिक सुरक्षा सम्बंधी गतिविधि एवं कार्यक्रमों को योजनाबद्ध तरीके से विकसित कर उनका सफलता पूर्वक सम्पादन करेगा।

5– यह कि प्रथम पक्ष राज्य स्तरीय साईबर क्राईम फॉरेन्सिक लैब एवं ट्रेनिंग की स्थापना करने में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

6– यह कि प्रथम पक्ष साईबर सुरक्षा एवं साईबर फॉरेन्सिक सम्बंधी कार्यशाला प्रशिक्षण एवं सेमिनार का आयोजन, शोध एवं विकास की गतिविधियों में लगातार सहयोग प्रदान करेगा।

7– यह कि प्रथम पक्ष सलाहाकार नियुक्त रहते हुये नागरिकों को साईबर अपराध के सम्बंध में जागरूक करने सम्बंधी कार्यक्रम आयोजित करने एवं साईबर अपराधों की रोकथाम के लिए नीति एवं कार्ययोजना बनाने में पूर्ण योगदान करेगा।

8– यह कि प्रथम पक्ष अनुबन्ध के दौरान उत्तराखण्ड पुलिस के अतिरिक्त किसी भी अन्य संस्थान में या स्वतन्त्र रूप से व्यवसायिक गतिविधियों से सम्बद्ध नहीं करेगा।

9– यह कि प्रथम पक्ष साईबर सलाहाकार नियुक्त रहने के दौरान राज्य सरकार द्वारा सामान्य तौर पर देय अवकाश के दौरान यदि अति आवश्यक कार्य होने पर कर्तव्य पर उपस्थित रहेगां

10– यह कि चयन समिति द्वितीय पक्ष यदि प्रथम पक्ष के कार्य से संतुष्ट नहीं होती है, तो चयन समिति द्वितीय पक्ष 10 दिवस के अन्दर नोटिस देकर सेवाएँ समाप्त कर सकती है। इस सम्बंध में प्रथम पक्ष द्वारा कोई दावा/वाद न्यायालय में दायर नहीं किया जायेगा।

11– यह कि यदि प्रथम पक्ष अनुबन्ध को समाप्त करना चाहेगा, तो इस सम्बंध में 30 दिवस पूर्व चयन समिति को लिखित रूप से अवगत करायेगा।

12– यह कि प्रथम पक्ष के उक्त कार्यो का सफलता पूर्वक सवहन करने के एवज को द्वितीय पक्ष प्रतिमाह रू0 1,00,000/– मानदेय का भुगतान करेगा। इसके अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि किसी प्रकार की प्रथम पक्ष को देय नहीं होगी।

13– यह कि यदि इस अनुबंध की शर्तो के सम्बंध में कोई वाद–विवाद होता है, तो वह चयन समिति के अध्यक्ष (पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक) द्वारा मध्यस्थता कर निर्णित किया जायेगा।

अतः पक्षकारों के मध्य उपरोक्त शर्तो के अनुसार यह इकरारनामा समक्ष गवाहान आज दिनांक........................... को सम्पादित व निष्पादित किया गया ।

स्थानः देहरादून

प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष

साक्षी साक्षी

(1) (2)